

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-1, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी(उ०प्र०)

पत्रांक:-उद्योग / 2018/ 5888

दिनांक: 28.12.2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.12.2018 के अनुपूरक मद संख्या-113/8 में लिये गये निर्णयानुसार इकोटेक-11 के उद्यमियों/आबंटियों को दिनांक 31.03.2019 तक लीजडीड निष्पादन हेतु निम्नानुसार सशर्त समयवृद्धि प्रदान की जाती है।

“यदि आबंटित भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 31.03.2019 तक निष्पादित कराते हैं तो उन पर लीजडीड निष्पादन की तिथि तक आरोपित लीजडीड विलम्ब शुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ स्थगित किया जाये कि उनके द्वारा दो वर्ष के अन्दर भूखण्ड का निर्माण/क्रियाशील कराने पर उक्त स्थगित विलम्ब शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी। यदि इकाई को दो वर्ष के अन्दर निर्माण/क्रियाशील नहीं कराते हैं, तो उक्त स्थगित विलम्ब शुल्क ब्याज सहित इकाई से ली जायेगी। उक्त प्रोत्साहन सुविधा उनकी लीजडीड में अंकित की जायेगी।”

उक्त कार्यालय आदेश प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

(अनिल कुमार शर्मा)

उप महाप्रबन्धक(उद्योग)

o/c

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ ।
2. स्टाफ आफीसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(के०) महोदय के सूचनार्थ ।
3. वैयक्तिक सहायक को विशेष कार्याधिकारी (एस०के०) महोदय के सूचनार्थ ।
4. प्रबन्धक उद्योग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. प्रबन्धक सिस्टम को इस आशय से कि जन समान्य के सूचनार्थ उक्त आदेश को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दें ।
6. इकोटेक-11 के आबंटियों को सूचनार्थ ।
7. गार्ड फाईल ।

उप महाप्रबन्धक(उद्योग)

o/c